भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1964
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें

†1964.**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के प्रति देश के लोगों में व्यापक आक्रोश देखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2014 की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग दोगुनी जबकि एलपीजी की कीमतें तिगुनी हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों में इतनी तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर लगाए गए करों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा उक्त पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 72.26 रुपए तथा 55.49 रुपए प्रति लीटर और दिनांक 08.12.2023 की स्थिति के अनुसार 96.72 रुपए तथा 89.62 रुपए प्रति लीटर थे।

सरकार ने दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है। उत्पाद शुल्क में कमी का फायदा पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री मूल्यों में कमी आई। इस उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना तथा खपत बढ़ाना और मुद्रास्फीति को कम बनाए रखना था ताकि गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद की जा सके। बाद में अनेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें कम कर दी थीं।

भारत सरकार ने भी उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से आम नागरिकों को बचाने के लिए अनेक अन्य कदम उठाए हैं जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट का विविधीकरण करना, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अप्रत्याशित कर, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सेवा दायित्व के प्रावधान तैयार करना और पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

भारत अपनी घरेलू एलपीजी की खपत के 60 प्रतिशत से अधिक का आयात करता है। देश में एलपीजी का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़ा हुआ है। तथापि, सरकार घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। तदनुसार सरकार ने दिनांक 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सि लडर की कमी कर दी थी। पहल योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की बिक्री गैर-राजसहायता प्रा मूल्य पर की जाती है और उपभोक्ताओं के लिए लागू राजसहायता उनके बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाती है।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क) 415 डॉलर प्रति एमटी से बढ़ कर 712 डॉलर प्रति एमटी हो गया है। तथापि, चूंकि सरकार प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का भार पूरी तरह से खुदरा बिक्री मूल्यों पर नहीं डाला गया था जिसके कारण तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर अल्प वसूली हुई। इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपए का एकबारगी मुआवजा अनुमोदित किया। कोविड महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज के तहत वर्ष 2020 में पीएमयूवाई परिवारों को लगभग 14.17 करोड़ नि:शुल्क एलपीजी रीफिल भी उपलब्ध करवाए थे।

सरकार दिनांक 21 मई, 2022 से वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभा थयों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 12 रीफिल्स हेतु 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सि लडर की निर्धारित राजसहायता के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा, दिनांक 05 अक्तूबर, 2023 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभा थयों के लिए निर्धारित राजसहायता को और बढ़ा कर 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सि लडर कर दिया गया है। दिनांक 01.12.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी का प्रभावी मूल्य (दिल्ली में) 603 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडर है।

दिल्ली में गैर-राजसहायता प्रा घरेलू एलपीजी सिलिंडर का मूल्य अप्रैल, 2014 में 980.50 रुपए था और दिनांक 08.12.2023 की स्थिति के अनुसार 903 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडर है।

दिनांक 11.12.2023 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर करों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

पेट्रोल और डीजल

उत्पाद और सीमा शुल्क: पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद और सीमा शुल्क की दरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

उत्पाद	सीमा शुल्क (रुपए/लीटर)	सीमा शुल्क
पेट्रोल	19.90	2.5%+10% समाज कल्याण अधिभार
डीजल	15.80	

***नोट: दिनांक 01.11.2022 से खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित गैर-मिश्रित पेट्रोल (एथेनॉल अथवा मेथेनॉल के साथ मिश्रित नहीं) पर 2 रुपए/लीटर की दर से अतिरिक्त बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाया गया है।**

दिनांक 16.11.2023 से पेट्रोल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य है जबकि डीजल के निर्यात में 1 रुपए/लीटर की दर से यह शुल्क लगाया गया है।

वैट दरें: दिनांक 08.12.2023 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर वैट/बिक्री कर के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

एलपीजी:

एलपीजी पर लागू सीमा शुल्क/जीएसटी की दरें निम्नानुसार हैं:

विवरण		**जीएसटी**	**सीमा शुल्क**
एलपीजी	घरेलू*	5.00%	शून्य
	गैर-घरेलू	18.00%	5.00%

*पीएसयू ओएमसीज द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बेची गई घरेलू एलपीजी के निर्यात हेतु बुनियादी सीमा शुल्क शून्य है। घरेलू एलपीजी के अन्य आयातकर्ताओं के लिए सीमा शुल्क की दर 5% है।

उपर्युक्त के अलावा कुल सीमा शुल्क पर 10 प्रतिशत समाज कल्याण अधिभार भी लागू है (एकीकृत सामान और सेवा कर के स्थान पर प्रतिकारी शुल्क को छोड़कर)

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रको (पीपीएसी)

अनुलग्नक

"पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें" के संबंध में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1964 के उत्तर में उल्लिखित

अनुलग्नक पेट्रोल/डीजल पर वैट/बिक्री कर

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	पेट्रोल	डीज़ल
अंडमान और निकोबार	1%	1%
आं प्रदेश	31% वैट + 4 रु. /लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट	22.25% वैट + 4 रु./लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट
अरुणाचल प्रदेश	14.50%	7.00%
असम	21.95% या 16.80 रु.प्रति लीटर जो भी अधिक हो	20.88% या 13.60 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो 1.66 रु.प्रति लीटर अधिकतम कर के अधीन 13.60 रु. प्रति लीटर की छूट
बिहार	23.58% या 16.65 रु. /लीटर जो भी अधिक (अप्रतिल य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)	16.37% या 12.33 रु. /लीटर जो भी अधिक (अप्रतिल य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)
चंडीगढ़	10 रु./केएल उप कर+15.24% या 12.42 रु./लीटर जो भी अधिक	10 रु./केएल उप कर+6.66% या 5.07 रु. /लीटर जो भी अधिक
छत्तीसगढ	24% वैट + 2 रु./ लीटर वैट	23% वैट + 1 रु./लीटर वैट
दादरा नगर-हवेली दमन और दीव	12.75% वैट	13.50% वैट
दिल्ली	19.40% वैट	रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट
गोवा	20% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर	17% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर
गुजरात	13.7% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर	14.9% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर
हरियाणा	18.20% या 14.50 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर	16% वैट या 11.86 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर
हिमाचल प्रदेश	17.5% या 13.50रु. / लीटर - जो भी अधिक हो	13.90% या 10.40 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो
ज मू और कश्मीर	24% एमएसटी + 2 रु. / लीटर रोजगार उप कर, 4.50 रु. / लीटर की छूट	16% एमएसटी + 1.00 रु./लीटर रोजगार उप कर, 6.50 रु. /लीटर की छूट
झारखंड	बिक्री मूल्य पर 22% या 17.00 रु. प्रति लीटर, जो भी भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर	बिक्री मूल्य पर 22% या 12.50 रु. प्रति लीटर, जो भी भी अधिक है + उप कर 1.00 रुपये प्रति लीटर
कर्नाटक	25.92% बिक्री कर	14.34% बिक्री कर
केरल	30.08% बिक्री कर + 1 रु. / लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर, सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु. प्रति लीटर	22.76% बिक्री कर + 1रु./ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु प्रति लीटर
लद्दाख	15%एमएसटी+ 5 रु./लीटर रोजगार उप कर, 2.5 रु./लीटर की कमी	6% एमएसटी+ 1 रु./लीटर रोजगार उप कर, 0.50 रु. /ली. की कमी
लक्षद्वीप	10% वैट	10% वैट
मध्य प्रदेश	29% वैट + 2.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर	19% वैट + 1.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर
महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई, अमरावती और औरंगाबाद	26% वैट + 5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर	24% वैट
महाराष्ट्र (शेष राज्य)	25% वैट + 5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट
मणिपुर	25% वैट	13.5% वैट
मेघालय	13.50% या 13.50 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो (0.10 रु. /लीटर प्रदुषण अधिभार)	5% या 7.00 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो (0.10 रु. /लीटर प्रदुषण अधिभार)
मिजोरम	16.36% वैट	5.23% वैट
नगालैंड	25% वैट या 16.04 रु./लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु 2.00/लीटर सड़क रखरखाव तथा 5.5 रु. /लीटर की छूट	16.50% वैट या 10.51 रु./लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु 2.00/लीटर सड़क रखरखाव तथा 5.1/ रु. लीटर की छूट
ओडिशा	28% वैट	24% वैट
पुदुच्चेरी	14.55% वैट	8.65% वैट
पंजाब	2050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष बुनियादी विकास शुल्क)+15.74% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर या 14.32 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो	1050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष बुनियादी विकास शुल्क)+12.00% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर या 10.02 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो
राजस्थान	31.04 % वैट + 1500 रु./ केएल सड़क विकास उप कर	19.30 % वैट + 1750 रु. / केएल सड़क विकास उप कर
सि म	20% वैट + 3000 रु./ केएल उप कर	10% वैट + 2500 रु./ केएल उप कर
तमिलनाडु	13% + 11.52 रु.प्रति लीटर	11% + 9.62 रु.प्रति लीटर
तेलंगाना	35.20% वैट	27% वैट
त्रिपुरा	17.50% वैट + 3% त्रिपुरा रोड़ विकास उप कर	10.00% वैट + 3% त्रिपुरा रोड़ विकास उप कर
उ र प्रदेश	19.36% या 14.85 रु./ लीटर जो भी अधिक हो	17.08% या 10.41 रु./ लीटर जो भी अधिक हो
उ राखंड	16.97% या 13.14 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो	17.15% या 10.41 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो
पश्चिम बंगाल	25% या 13.12 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर –1000 रु./केएल बिक्री कर छूट (20% अप्रतिल य कर के रूप में वैट पर अतिरिक्त कर)	17% या 7.70 रु./लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु. / केएल उप कर –1000 रु. /केएल बिक्री कर छूट (20% अप्रतिल य कर के रूप में वैट पर अतिरिक्त कर)

*****